भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5676
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

5676. **श्री संजय उत्तमराव देशमुख:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल शोषण के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में दर्ज की गई शिकायतों की संख्या और प्रकृति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है और यदि हां, तो अब तक कितने लोग दोषी पाए गए हैं और इस संबंध में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा बच्चों और महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) केंद्र सरकार द्वारा बच्चों के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार की गई रणनीति का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा किशोर अपराध को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (छ) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) बाल दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतें प्राप्त करता है और मामला-दर-मामला के आधार पर समुचित कार्रवाई

करता है। शिकायत प्राप्त होने पर, आयोग मामले की आवश्यकताओं के अनुसार जांच सहित आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें संबंधित जिला प्रशासन या पुलिस अधिकारियों को भेजता है। तदुपरांत, गई कार्रवाई के बारे में नवीनतम जानकारी आयोग के साथ साझा की जाती है।

पिछले तीन वर्षों में बाल दुर्व्यवहार से जुड़ी विभिन्न श्रेणियों जैसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015, पॉक्सो अधिनियम 2012, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और इसी तरह के दुर्व्यवहार जैसे कि बाल दुर्व्यापार, बाल श्रम इत्यादि के तहत दर्ज मामलों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अपराध का निर्धारण और सज़ा देना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्याय विभाग बलात्कार और पॉक्सो से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई और निपटान के लिए विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 28.02.2025 तक, 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में **404 विशेष पॉक्सो न्यायालयों** सहित **745 एफटीएससी कार्यशील हैं**, जिनमें 3,13,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है।

सरकार ने बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) अधिनियमित किया है। यह अधिनियम देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों की उचित देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार और समाज में पुन: मिलाने कर उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके उनकी सुरक्षा का प्रावधान करता है। अन्य बातों के अलावा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करने और दत्तक ग्रहण के मामलों का फैसला करने का अधिकार देता है।

महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण और विकास के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं को तीन व्यापक मिशनों में अर्थात (1) देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; तथा (3) कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा,

देखरेख और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य को शामिल किया गया है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(I) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): इस मिशन के तहत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक उप-घटकों (i) पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी बुनियादी अवसंरचना में पुनर्गठित किया गया है।

(II) मिशन शक्ति: महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक योजना के रूप में एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' शुरू किया है जिसे 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वित किया जाएगा। यह 1 अप्रैल 2022 से देश में प्रभावी हो गया है। मिशन शक्ति में दो उप-योजनाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए "संबल" और सशक्तीकरण के लिए "सामर्थ्य"। 'संबल' में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत घटक हैं। 'सामर्थ्य' में शक्ति सदन, सखी निवास, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना और संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (संकल्प: एचईडब्ल्यू) घटक हैं। मिशन शक्ति के तहत घटकों के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

क.संबल:

i. **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)** निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, **अस्थायी आश्रय,** पुलिस सहायता और मनो-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है।
ii. **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)** 24/7 सार्वभौमिक टोल फ्री नंबर 181 के माध्यम से देश भर में महिलाओं और बालिकाओं को निर्बाध आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता और सूचना सेवा प्रदान करती है।
iii. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)** का उद्देश्य बाल लिंगानुपात (सीएसआर) में गिरावट और जीवन चक्र निरंतरता में बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। इस योजना में मुख्य रूप से सभी हितधारकों

को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, शामिल करके और सशक्त बनाकर बालिकाओं के प्रति मानसिकता और व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है।

iv. **नारी अदालत** पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और विवाद के समाधान का विकल्प, शिकायत निवारण, परामर्श और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने जैसी सेवाओं के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करना है। यह घरेलू हिंसा, दहेज संबंधी विवादों, बाल अभिरक्षा और कार्यस्थल में असमानताओं जैसे जेंडर आधारित मुद्दों का समाधान करती है। नारी अदालत 2023-24 से असम तथा जम्मू और कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों (जीपी) में सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। 31 दिसंबर 2024 तक, प्रायोगिक असम राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर दोनों में कुल 497 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 414 का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है।

ख. सामर्थ्य:

i. **शक्ति सदन** – यह दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। पिछले तीन वर्षों के दौरान शक्ति सदन के तहत लाभार्थियों की संख्या 3,727 है।

ii. **सखी निवास** - महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर वाले शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए। पिछले तीन वर्षों के दौरान सखी निवास के तहत लाभार्थियों की संख्या 25,602 रही।

iii. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** – यह केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत लाभार्थियों को पहले बच्चे और दूसरा बच्चा बालिका होने पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में नकद प्रोत्साहन मिलता है।

iv. **पालना** का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

v. **संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)** मिशन शक्ति की सामर्थ्य उप-योजना के तहत एक पहल है, जो एकल खिड़की अंतर-क्षेत्रीय तालमेल तंत्र का कार्य करेगा।

(III) मिशन वात्सल्य: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर केंद्र प्रायोजित योजना 'मिशन वात्सल्य' कार्यान्वित कर रहा है, ताकि देखरेख और

संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसमें संस्थागत और गैर-संस्थागत दोनों तरह की देखरेखा सेवाए शामिल हैं। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श इत्यादि में सहायता करते हैं। गैर-संस्थागत देखरेख के तहत सहायता राज्य प्रायोजन, पालन-पोषण देखरेख, दत्तक ग्रहण और देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पश्चात देखरेख (ऑफ्टर केयर) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

सरकार बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में कई पहलें की हैं। बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है।

अपराधियों को डराने और ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध करने के लिए मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड शामिल करने के लिए 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। इस अधिनियम की धारा 4 में "प्रवेशात्मक यौन हमले" के लिए न्यूनतम 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा निर्धारित की गई है, जिसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। यदि हमले के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है या पीड़ित लगातार निष्क्रिय अवस्था में रहता है, तो धारा 6 में मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है। धारा 8 में यौन हमले के दोषी पाए जाने वालों के लिए न्यूनतम तीन से पांच साल के कारावास का प्रावधान है, जबकि धारा 10 गंभीर यौन हमले (किसी व्यक्ति पर कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे कि यदि बलात्कार विश्वास या अधिकार के रिश्ते में किया गया हो, या यदि इससे पीड़ित गर्भवती हो जाए इत्यादि) के लिए सजा को बढ़ाकर न्यूनतम पांच वर्ष करती है। इस अधिनियम की धारा 14 में अश्लीलता (पोर्नोग्राफ़िक) के उद्देश्यों से बच्चों का उपयोग करने पर सात साल तक की कैद का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम धारा 28 के तहत त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायलयों का गठन करने का अधिदेश देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामलों को अत्यंत तत्परता और संवेदनशीलता के साथ निपटाया जाता है, जो बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति कानून के शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण को दर्शाता है।

इसके अलावा, बच्चों को शोषण, हिंसा और यौन शोषण से बचाने के लिए पॉक्सो नियम, 2020 भी अधिसूचित किया गया है। नियम 3 में प्रावधान है कि बच्चों को रखने वाली या बच्चों के नियमित संपर्क में आने वाली कोई भी संस्था जिसमें स्कूल, क्रेच, खेल अकादमी या बच्चों के लिए कोई अन्य सुविधा शामिल है, को समय-समय पर हर कर्मचारी, शिक्षण या गैर-शिक्षण, नियमित या संविदा, या ऐसे संस्थान का कोई अन्य कर्मचारी जो बच्चे के संपर्क में आता है, का पुलिस सत्यापन और पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसी संस्था को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 से राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वयन के लिए करने के लिए निर्भया कोष से "यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत पीड़ितों के लिए देखरेख और सहायता योजना" नामक एक योजना भी शुरू की है ताकि नाबालिग गर्भवती बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

*****

अनुलग्नक

‘राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग’ के संबंध में श्री संजय उत्तमराव देशमुख द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5676 के भाग (क से छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों में बाल दुर्व्यवहार से जुड़ी विभिन्न श्रेणियों के तहत दर्ज मामलों की संख्या	
वर्ष	**कुल**
2022-2023	2485
2023-2024	3302
2024-2025	12404

.

*****